

श्रीमान् जी,

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक:-पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

2021/293

प्रार्थी नरेन्द्र गौरी पुत्र छगन लाल गौरी निवासी मकान नं0 376 सुखवंत सिनेमा वाली गली वार्ड नं0 11 पुरानी आबादी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसनामा, मूल रसीद, आई डी प्रूफ पेश कर निवेदन किया है कि मेरी माता शान्ति देवी पत्नी छगन लाल जाति सिन्धी निवासी वार्ड नं0 11 पुरानी आबादी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने दिनांक 28.03.2019 को वसीयत कस्टडी में रखवाई थी। जिनका देहांत दिनांक 06.09.2019 को हो गया था। उनके द्वारा दिनांक 28.03.2019 को रखवाई गयी बंद वसीयत खोला जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी को गवाहान सुशील कुमार पुत्र कृष्ण लाल एवं चन्द्रभान पुत्र चानण राम ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त श्री मुकेश कुमार अधिवक्ता ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा कर सीलड पैकेट बंद लिफाफा खोले जाने हेतु प्रस्तुत है।

अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महोदय

क